राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

प0 26 (3)संसद/15 पार्ट — जयपुर, दिनांक: 26 MAY 2017

परिपत्र

राजस्थान विधान सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र अ.शा. पत्रांक एफ. 8(61)/सदन/विस/2017/8/295/19474 दिनांक 19.05.2017 की छाया प्रति संलग्न है, जिसके द्वारा चौदहवीं राजस्थान विधान सभा की अवधि में माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेष उल्लेख की सूचनाओं की तथ्यात्मक जानकारी राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा माननीय सदस्यों के निवास पर प्रेषित नहीं की जा रही है। मा0 सदस्यों द्वारा इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

यह भी उल्लेख किया गयां है कि मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के संबंध में जारी किये गये निर्देश संख्या 14(11) में निम्न प्रावधान किये गये हैः– **"मा0 मंत्री, सदस्यों को उनके द्वारा नियम 295 के अधीन उठाये गये विषयों के बारे में साधारणतः एक सप्ताह के भीतर सरकार का दृष्टिकोण और/या उस विषय में की गई कार्यवाही की उन्हें सूचना देते हुए लिखेंगे। उस विषय में सरकार का दृष्टिकोण और/या की गई कार्यवाही की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी।"**

अतः उक्त प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जारी मा0 अध्यक्ष के उपरोक्त निर्देश संख्या 14(11) की अनुपालना में विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचनाओं की तथ्यात्मक जानकारी संबंधित मा0 सदस्यों को उनके निवास पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति राजस्थान विधान सभा सचिवालय एवं संसदीय कार्य विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

प्रमुख शासन सचिव

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव
3. समस्त शासन सचिव
4. समस्त विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को उनके अ.शा. पत्रांक एफ. 8(61)/सदन/विस/2017/8/295/19474 दिनांक 19.05.2017
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

26-05-17
शासन उप सचिव

140

सत्र कार्य/सदन शाखा/अविलम्बनीय

तुरन्त जारी हो।

पृथ्वी राज

सचिव

राजस्थान विधान सभा

सत्यमेव जयते

फैक्स नं.- 0141-2744333/2744334

दूरभाष नं.- 2744326,2744301/107

मुख्य सचिव कार्यालय राजस्थान, जयपुर प्राप्ति संख्या 15257 786/17/U दिनांक 22.05.17

2097 24-5-17

2744/PLS/II/17 22/05/2017 Pr. secy PAD

अ.शा. पत्रांक : एफ.8(61)सदन/विस/2017/8/295/ 19474 जयपुर, दिनांक: 19.5.17

विषय:- प्रक्रिया नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं की तथ्यात्मक जानकारी माननीय सदस्यों को उनके निवास पर प्राप्त नहीं होने के संबंध में।

(O. P. Meena) Chief Secretary 22 MAY 2017 DS AD 24-05-17

प्रिय श्री मीना जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि चौदहवीं राजस्थान विधान सभा की अवधि में माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेष उल्लेख की सूचनाओं की तथ्यात्मक जानकारी राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा माननीय सदस्यों के निवास पर प्रेषित नहीं की जा रही है। माननीय सदस्यों द्वारा इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

जैसा कि आपको विदित ही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के संबंध में जारी किये गये निदेश संख्या 14(11) में निम्न प्रावधान किये गये हैं :- " **मंत्री, सदस्यों को उनके द्वारा नियम 295 के अधीन उठाये गये विषयों के बारे में साधारणत: एक सप्ताह के भीतर सरकार का दृष्टिकोण और/या उस विषय में की गई कार्यवाही की उन्हें सूचना देते हुए लिखेंगे। उस विषय में सरकार का दृष्टिकोण और/या की गई कार्यवाही की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी।** "

अत: आपसे निदेशानुसार निवेदन है कि प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जारी माननीय अध्यक्ष के निदेश संख्या 14(11) की अनुपालना में समस्त विभागों को आवश्यक निदेश प्रदान कर विशेष उल्लेख की सूचनाओं की तथ्यात्मक जानकारी संबंधित माननीय सदस्यों को उनके निवास पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

सदभावी,

18/5/17

(पृथ्वी राज)

श्री ओम प्रकाश मीना

मुख्य सचिव,

राजस्थान सरकार,